जालौन पुलिस

दिनांक –30.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र मइयादीन नि0ग्राम सिया थाना ककरबई जनपद झांसी द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के प्रयत्न के सम्बन्ध में थाना कोटरा में मु0अ0सं0 41/2022 (वाद संख्या 197/2022) धारा 307/326/506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.11.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मूलचन्द्र उपरोक्त को धारा 307/326/506 भादवि में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।